न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर पीठासीन

अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 57/24 (225 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2024/110

उनवान

1. बृजो पुत्र रामस्वरुप, जाति भडमूजा निवासी महंगाया तहसील व जिला भरतपुर।
2. लक्ष्मी देवी पत्नी बृजो, जाति भड़मूजा निवासी महंगाया तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. भगवान सिंह
2. हरवीर सिंह

] पिस0 होती, जाति जाट, निवासी मंहगाया तहसील व जिला भरतपुर।

3. सार्वजनिक निर्माण विभाग जरिये अधिशाषी अभियन्ता भरतपुर।
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार साहब भरतपुर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 80/20 बउनवानी भगवानसिंह बनाम बृजो आदि में पारित निर्णय दिनांक 18.03.2024 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर, प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री जितेन्द्र कुमार कर्दम उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 श्री विजय सिंह कुन्तल उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 05.06.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर द्वारा मु.स. 80/20 बउनवानी भगवान सिंह बनाम बृज्जो आदि में पारित निर्णय दिनांक 18.03.2024, प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया था कि हाल आराजी ख.न. 112/0.10, 210/0.39 वाके ग्राम मंहगाया तहसील भरतपुर के गत खसरा नम्बर 116, 129, 2110 हैं। जिसके सायलान/रेस्पोडेन्ट्स खातेदार काश्तकार है सायलान की उक्त आराजी के सहारे सार्वजनिक रास्ता वतरफ पूर्व स्थित है जिसमें होकर सायलान अपनी खातेदारी की आराजी में आना–जाना रखते हैं। उक्त रास्ता का गत ख.न. 239 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा था इस नम्बर से वंदोबस्त विभाग द्वारा नये नम्बर 109/0.36, 110/0.02, 111/0.03 बनाये गये है जो कि रास्ते के नम्बर है। वंदोवस्त विभाग ने खसरा नम्बर 111 की किस्म परिवर्तित कर गैर सायलान का नाम इन्द्राज कर दिया तथा अब गैरसायलान उक्त इन्द्राज के आधार पर निर्माण कार्य कर रास्ते को अवरुद्ध करना चाहता है। इसी कारण रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि गैरसायलान को ताफैसला मूल दावा पाबंद किया जावे

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

कि गैरसायलान राजस्व अभिलेख में गलत रुप से हाल ख.न. 111 के इन्द्राजों के आधार पर उक्त रास्ते के नम्बर में किसी भी प्रकार से निर्माण नहीं करें और न ही अन्य किसी तरह से रास्ते को अवरुद्ध करें तथा ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे सायलान के हक–हकूकों पर विपरीत प्रभाव पड़े। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। जिसके बाद अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18.03.2024 को निर्णय पारित करते हुए सायलान का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. स्वीकार कर विवादित आराजी ख.न. 111/0.03 पर गैरसायलान को निर्माण नहीं करने हेतु पाबंद कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र कुमार कर्दम एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री विजय सिंह कुन्तल ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 111/0.3 एयर वाके ग्राम मंहगाया तहसील भरतपुर स्थित है। उक्त विवादित आराजी पर अपीलान्ट दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रेस्पोडेन्ट का विवादित आराजी से कोई किसी प्रकार का संबंध नही है। उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 111/0.3 एयर सड़क का नम्बर नहीं है एवं गैरखातेदारी का अपीलान्ट है जो कि अपीलान्ट के कब्जे काश्त एवं अन्य अपने निजी काम में आ रही है तथा इस आराजी के सहारे 30 मीटर का रास्ता है जिसका नम्बर अलग है एवं रेस्पोडेन्ट उसी रास्ते से आना–जाना रखते हैं किन्तु रेस्पोडेन्ट ने रास्ते की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। इसलिए अब नाजायज कब्जा करने की आड़ में अपीलान्ट की आराजी में होकर रास्ता बनाने एवं आने–जाने के काम में लेकर कब्जा करने पर उतारु है। जबकि विवादित आराजी अपीलान्ट को अलाट हुई थी जिसमें से रास्ता बनाना चाहते हैं। इसी सिलसिले में रेस्पोडेन्ट ने यह झूंठा दावा एवं प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो काबिल खारिजी के है। रेस्पोडेन्ट का नम्बर अपीलान्ट के नम्बर के बाद में है। अपीलान्ट का खसरा नम्बर सड़क के सहारे है तथा रेस्पोडेन्ट का नम्बर सड़क के सहारे नहीं है। रेस्पोडेन्ट को आने–जाने का अलग से रास्ता है। फिर भी लायक अदालत ने आदेश विधि विरुद्ध देने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश देते समय प्राईमाफेसी केस के बारे में सही निर्णय नहीं किया गया है क्योंकि अपीलान्ट की आराजी ख.न. 111 से रेस्पोडेन्ट की आराजी दूर है। अपीलान्ट की आराजी सड़क के पास में है इससे 30 मीटर सरकारी रास्ता है उसके बाद रेस्पोडेन्ट की आराजी है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने चिपटेमा बताते हुए आने–जाने में मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण रेस्पोडेन्ट को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है यह लिखकर कानूनी भूल की है जबकि मौके पर रेस्पोडेन्ट दूसरी जगह से आते–जाते हैं तथा अपीलान्ट के नम्बर से कोई संबंध नहीं है। उक्त प्रकरण में सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति अपीलान्ट को ही हो रही है। जबकि रेस्पोडेन्ट का किसी प्रकार से अपील की आराजी से कोई संबंध व सरोकार ही नही है एवं ना ही कोई आराजी चिपटेमा है। तो अपीलान्ट द्वारा आने–जाने में रास्ते को कैसे अवरुद्ध किया जा सकता है। इस प्रकार सभी तथ्य मौके के विपरीत एवं विधि विरुद्ध होने से आदेश काबिल निरस्तनीये है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी अपील बहस में अपने द्वारा अपील निर्धारित समयावधि की देरी से पेश करने पर निवेदन किया कि इस हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसमें कथन किया गया कि आदेश अन्तर्गत अपील 18.03.2024 सहायक कलक्टर भरतपुर के आदेश की सायलान को जानकारी नहीं थी। दिनांक 01.04.2024 को वकील साहब के टेलीफोन करने से बुलाने पर आये तो पता चला कि आदेश पारित हो गया है। तो उसी समय नकल का प्रार्थना–पत्र पेश किया नकल दिनांक 02.04.2024 को मिली जिसके बाद पैसों का इन्तजाम करने गांव चले गये लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हो सका था, काफी समय लग गया। प्रार्थीगण गरीब है आय का कोई जरिया नहीं है मजदूरी कर अपना परिवार का खर्चा चलाते है। अब जैसे ही इन्तजाम हुआ है अपील बिना किसी देरी के पेश की जा रही है। जानबूझकर देरी नहीं की गयी है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील में हुई देरी को कन्डोन की जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश दिनांक 18.03.2024 को निरस्त फरमाया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि हाल अराजी खसरा नम्बर 111 रास्ते/सड़क का नम्बर है जो कि अर्से दराज से ही रास्ते के काम आ रहा था। यह रास्ता भरतपुर–गोर्वधन रोड़ है। खसरा नम्बर 111 की जगह पर कोई भी खाली स्थान नहीं है इस हाल खसरा नम्बर 111 के वतरफ पश्चिम सायलान के कब्जे काश्त व खातेदारी के हाल ख.न. 112 व 210 स्थित हैं। जिन पर मात्र यही रास्ता है राजस्व अभिलेख में गलत रुप से विधि विरुद्ध इन्द्राजात गैर सायलान के नाम हो जाने से गैरसायलान सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर सायलान के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी के रास्ते को बंद करने पर उतारु थे। विवादित खसरा नम्बर 111 पर काश्त करना सम्भव नहीं है। खसरा नम्बर 111 गत खसरा नम्बर 239 से निर्मित हुआ है जो गैरमुमकिन सड़क का है तथा कानूनन सड़क की भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। गैरसायलान ने दिनांक 20.10.2020 को धमकी दी कि हाल खसरा नम्बर 111 के इन्द्राजात हमने अपने नाम करा लिये है और अब इन इन्द्राजों के आधार पर निर्माण कार्य कर रास्ते को अवरुद्ध कर अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी पर आने–जाने का रास्ता बन्द कर देगें। इसी कारण सायलान/रेस्पोडेन्ट, अपीलान्ट/गैरसायलान को जरिये डिक्री अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में आगे धारा 5 मियाद अधिनियम का जबाब पेश कर कथन किया कि उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा देरीना से पेश की गई है जबकि स्वयं अपीलान्ट के मुताबिक आदेश जैर अपील दिनांक 18.03.2024 को पारित किया गया है। जिसकी नकल अपीलान्ट को उसके ही कथन अनुसार नकल दिनांक 02.04.2024 को प्राप्त हो गई। दिनांक 18.03.2024 से अपील पेश करने की म्याद दिनांक 17.05.2024 तक थी मुकदमा पेश करने के लिए पैसों का इन्तजाम करने में लगाये समय के मुताबिक देरीना को माफ नहीं किया जा सकता अर्थात पैसों के इन्तजाम करने में समय लग गया इस आधार पर देरी को माफ नहीं किया जा सकता।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

इसलिए प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट म्याद बिन्दू पर ही खारिज फरमाया जावे।

7. अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.03.2024 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 21.05.2024 को पेश की गई है, जो मियाद बाहर है।

8. चूंकि हस्तगत अपील निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं हुई है अतः सर्वप्रथम हम मियाद के बिन्दू पर विचार करना उचित पाते हैं। अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है कि अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में यह उल्लेखित किया है कि ''न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर के आदेश की सायलान को जानकारी नहीं थी। दिनांक 01.04.2024 को वकील साहब के टेलीफोन करने से बुलाने पर आये तो पता चला कि आदेश पारित हो गया है। तो उसी समय नकल का प्रार्थना–पत्र पेश किया नकल दिनांक 02.04.2024 को मिली जिसके बाद पैसों का इन्तजाम करने गांव चले गये लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हो सका था, जिसके कारण अपील पेश करने में काफी समय लग गया।'' ''उक्त उल्लेखित तथ्यों के विरुद्ध प्रत्यर्थीगण ने जबाब पेश करते हुए कथन किया कि अपीलान्ट के मुताबिक आदेश जैर अपील दिनांक 18.03.2024 को पारित किया गया है। जिसकी नकल अपीलान्ट को उसके ही कथन अनुसार नकल दिनांक 02.04.2024 को प्राप्त हो गई। दिनांक 18.03.2024 से अपील पेश करने की म्याद दिनांक 17.05.2024 तक थी मुकदमा पेश करने के लिए पैसों का इन्तजाम करने में लगाये समय के मुताबिक देरीना को माफ नहीं किया जा सकता अर्थात पैसों के इन्तजाम करने में समय लग गया इस आधार पर देरी को माफ नहीं किया जा सकता।'' विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में यह अवधारित किया गया है कि एक गुणवत्तायुक्त प्रकरण को केवल मियाद के बिन्दु पर निस्तारित नहीं किया जावे। तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक बिन्दु न्याय निर्णयन में सहायक होने चाहिए बाधक नहीं। अतः जब प्रकरण गुणवत्ताविहीन नहीं हो, केवल मियाद या समय सीमा के बिन्दु पर प्रकरण अन्तिम रुप से निर्णित नहीं करना चाहिए, गुणावगुणों पर भी एक नजर आवश्यक डाल लेनी चाहिए। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना उचित है। अतः अपील में सारभूत कानूनी बिन्दु निहित होने से अपील अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 में वर्णित तथ्यों के मध्यनजर जानकारी से अपील पेश करना मानते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर अभिकथन किया कि हाल आराजी ख.न. 112/0.10, 210/0.39 वाके ग्राम मंहगाया तहसील भरतपुर के गत खसरा नम्बर 116, 129, 2110 हैं। जिसके सायलान/रेस्पोडेन्ट्स खातेदार काश्तकार है सायलान की उक्त आराजी के सहारे सार्वजनिक रास्ता वतरफ पूर्व स्थित है जिसमें होकर सायलान अपनी खातेदारी की आराजी में आना–जाना रखते हैं। उक्त रास्ता का गत ख.न. 239 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा था इस नम्बर से वंदोबस्त विभाग द्वारा नये नम्बर 109/0.36, 110/0.02, 111/0.03 बनाये गये है जो कि रास्ते के नम्बर है। वंदोवस्त विभाग ने खसरा नम्बर 111 की किस्म परिवर्तित कर गैर सायलान का नाम इन्द्राज कर दिया तथा अब गैरसायलान उक्त इन्द्राज के आधार पर निर्माण कार्य कर रास्ते को अवरुद्ध करना चाहता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

इसी कारण रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि गैरसायलान को ताफैसला मूल दावा पाबंद किया जावे कि गैरसायलान राजस्व अभिलेख में गलत रुप से हाल ख.न. 111 के इन्द्राजों के आधार पर उक्त रास्ते के नम्बर में किसी भी प्रकार से निर्माण नहीं करें और न ही अन्य किसी तरह से रास्ते को अवरुद्ध करें तथा ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे सायलान के हक–हकूकों पर विपरीत प्रभाव पड़े। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18.03.2024 को निर्णय पारित करते हुए सायलान का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. स्वीकार कर विवादित आराजी ख.न. 111/0.03 पर गैरसायलान को निर्माण नहीं करने हेतु पाबंद कर दिया।

अपीलान्ट्स द्वारा अपील पेश कर अपने अपील मीमों में यह आधार लिया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 111/03 वाके ग्राम मंहगाया तहसील भरतपुर सड़क का नम्बर नहीं है एवं गैरखातेदारी का अपीलान्ट्स का खसरा नम्बर है जो अपीलान्ट के कब्जे काश्त एवं अन्य अपने निजी काम में आ रही है तथा इस आराजी के सहारे–सहारे 30 मीटर का रास्ता है जिसका नम्बर अलग है एवं उसी से यह लोग रेस्पोडेन्ट्स आना–जाना रखते हैं, मगर रास्ता की जमीन पर रेस्पोडेन्ट्स द्वारा कब्जा किया हुआ है इसलिए अब उक्त नाजायज कब्जा करने की आड़ में हम अपीलान्ट की आराजी में होकर रास्ता बनाने एवं आने–जाने के काम में लेकर कब्जा करने पर उतारु है। अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश देते समय प्राईमाफेसी केस के बारे में सही निर्णय नहीं दिया क्योंकि अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 111 से रेस्पोडेन्ट्स की आराजी दूर है। अपीलान्ट की आराजी सड़क के पास में है, इससे 30 मीटर सरकारी रास्ता है उसके बाद रेस्पोडेन्ट की आराजी है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने चिपटेवां मानते बताते हुए आने–जाने में मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण रेस्पोडेन्ट को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है लिखकर कानूनी भूल की है जबकि रेस्पोडेन्ट्स दूसरी जगह से आते–जाते हैं, अपीलान्ट के खसरा नम्बर में कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिए प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन अपीलान्ट के पक्ष में बखुबी साबित था। सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति अपीलान्ट को ही हो रही है जबकि रेस्पोडेन्ट्स का किसी प्रकार से अपीलान्ट की आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है एवं कोई आराजी चिपटेवा नहीं है तो आने–जाने के रास्ते को अवरुद्ध कैसे किया जा सकता है। यह समस्त वाक्य मौके के विपरीत एवं विधि विरुद्ध होने से आदेश काबिल निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र रेस्पोडेन्ट सायला अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का निर्णय पारित करते समय प्रथम दृष्टया प्रकरण में यह माना है कि पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी सम्वत 2045–2048 के मुताबिक वाके ग्राम महगायां के ख.न. 239 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा किस्म गै.मु. सड़क महकमा पी.डब्लू.डी दर्ज है तथा मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 के मुताबिक साबिक खसरा नम्बर 239 में हाल खसरा नम्बर 109/0.36, 110/0.02, 111/0.03 निर्मित किए हैं। आराजी खसरा नम्बर 111/0.03 के चिपटेमा सायलान का खसरा नम्बर 210/0.39 स्थित है। जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 खसरा नम्बर 111/0.03 पर गैर सायलान गैर खातेदार दर्ज हैं। यदि गैर सायलान द्वारा खसरा नम्बर 111/0.03 पर निर्माण कार्य किया जाता है तो सायलान को अपनी आराजी पर आने–जाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के हक में माना है। साथ ही सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी रास्ते को गैरसायलान द्वारा निर्माण कर अवरुद्ध किया जाता है तो सायलान को

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

नुकसान होने की संभावना मानते हुए सायलान के पक्ष में माना है। अन्त में सायलान का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर ताफैसला मूल वाद आराजी खसरा न. 111/0.03 ग्राम मंहगाया पर गैरसायलान को निर्माण नहीं करने हेतु पाबन्द किया है। इस सम्बन्ध में हमारा यह मानना है कि गैरसायलान वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 111/0.03 के रिकार्डेड गैर खातेदार हैं एवं अभी उनको खातेदारी भी प्राप्त नहीं हुई है एवं इस खसरा नम्बर का रकबा भी केवल 3 ऐयर ही है जिससे भी गैरसायलान जब तक उनके विधिक रुप से खातेदारी प्राप्त नहीं हो जाती उस पर निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय दिनांक 18.03.2024 विधिसम्मत होने से वह हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय दिनांक 18.03.2024 यथावत रखा जाता है।
11. निर्णय आज दिनांक 05.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
12. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
13. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर